Drishti IAS

करेंट अफेयर्स झारखंड

दिसंबर 2024

(संग्रह)

Drishti, 641, First Floor, Dr. Mukharjee Nagar, Delhi-110009
Inquiry: +91-87501-87501
Email: care@groupdrishti.in

अनुक्रम

झारखंड **3**

- झारखंड मंत्रिमंडल शपथ लेगा 3
- भारत के पवित्र उपवनों का संरक्षण 4
- झारखंड कैमरून में फँसे श्रमिकों की सहायता करेगा 6
- बिरहोर जनजाति बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुई 7

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

झारखंड

झारखंड मंत्रिमंडल शपथ लेगा

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल में दस मंत्री **पद की शपथ** लेंगे। **शपथ ग्रहण समारोह रांची के राजभवन** में होगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यों में **मंत्रिपरिषद** का गठन और कार्य उसी प्रकार होता है जैसे केंद्र में मंत्रिपरिषद का होता है **(अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164)**।
- **अनुच्छेद 163** में कहा गया है कि विवेकाधीन शर्तों को छोड़कर, **राज्यपाल** को अपने कार्यों के निर्वहन में सहायता और सलाह देने के लिये **मुख्यमंत्री** की अध्यक्षता में एक मंत्रिपरिषद होगी।
  - **विवेकाधीन शक्तियों में शामिल हैं**
    - राज्य विधान सभा में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत न मिलने पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति
    - **अविश्वास प्रस्ताव** के समय
    - राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में **(अनुच्छेद 356)**
- संविधान के **अनुच्छेद 164** के तहत **मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा** किसी की सलाह के बिना की जाती है। लेकिन वह व्यक्तिगत मंत्रियों की नियुक्ति **मुख्यमंत्री की सलाह पर** ही करता है।
  - अनुच्छेद का तात्पर्य यह है कि राज्यपाल **अपने विवेक के अनुसार किसी व्यक्ति को मंत्री नियुक्त नहीं कर सकता।** इसलिये राज्यपाल किसी मंत्री को केवल **मुख्यमंत्री की सलाह पर ही बर्खास्त** कर सकता है।

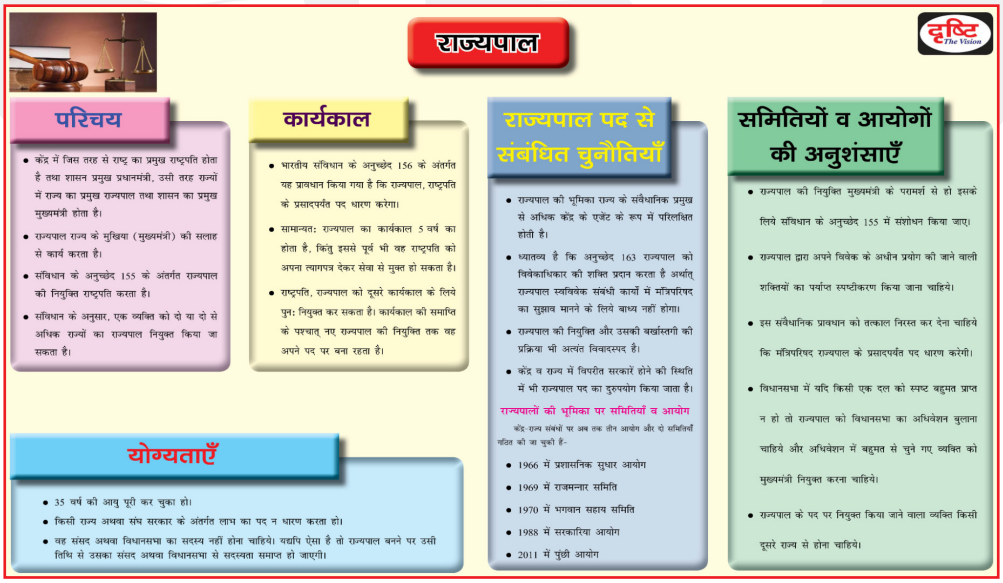

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत के पवित्र उपवनों का संरक्षण

चर्चा में क्यों ?

पवित्र उपवन सक्रिय रूप से जैवविविधता को बढ़ावा देते हैं तथा **कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन बढ़ते खतरे उनके अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं।

- **झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़** उन राज्यों में से हैं जो **पवित्र उपवनों से समृद्ध** हैं।

प्रमुख बिंदु

- **पवित्र उपवन के बारे में:**
  - स्वदेशी समुदायों द्वारा अपने पूर्वजों की आत्माओं या देवताओं को समर्पित **पवित्र उपवन प्राकृतिक वनस्पति वाले क्षेत्र** होते हैं।
  - झारखंड में इन्हें **सरना, छत्तीसगढ़ में देवगुड़ी और राजस्थान में ओरण** के नाम से जाना जाता है।
  - इन उद्यानों का आकार भिन्न-भिन्न है, **जो छोटे वृक्ष समूहों से लेकर कई एकड़ तक फैले विशाल क्षेत्र तक विस्तृत हैं।** कुछ में एक ही पवित्र वृक्ष होता है, जैसे **झारखंड में साल का वृक्ष।**
  - **वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002** के तहत पवित्र उपवनों को '**सामुदायिक रिज़र्व**' के अंतर्गत कानूनी रूप से संरक्षित किया गया है।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME

UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME

IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME

दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- सामुदायिक रिज़र्व वे क्षेत्र हैं जिन्हें संरक्षण के लिये नामित किया गया है, **जिनमें प्राकृतिक संसाधनों और वन्य जीवन के संरक्षण में स्थानीय समुदायों की प्रत्यक्ष भागीदारी** होती है।

- **विस्तार और वितरण:**
  - पवित्र उपवन अनुमानत: 33,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो भारत के **कुल भूमि क्षेत्र का मात्र 0.01%** है।
  - भारत में 13,000 से ज़्यादा पवित्र उपवन हैं, जिनके बारे में प्रमाणिक तौर पर बताया गया है। उपवनों की प्रचुरता वाले राज्य **केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, मेघालय, राजस्थान और तमिलनाडु** हैं।
    - **महाराष्ट्र** लगभग **3,000 पवित्र उपवनों के साथ अग्रणी** है।
- **जैवविविधता और सांस्कृतिक महत्त्व:**
  - पवित्र उपवन जैवविविधता वाले क्षेत्र हैं जो अत्यधिक पारिस्थितिक मूल्य रखते हैं।
  - **जनजातीय समुदाय** इन वृक्षों की पूजा करते रहे हैं तथा इनके साथ गहरा संबंध बनाए रखा है।
  - ऐतिहासिक रूप से वे **पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक** थे, जो प्रथागत नियमों और शासन प्रणालियों में **संहिताबद्ध आध्यात्मिक संहिताओं** द्वारा निर्देशित थे।
- **जलवायु लक्ष्यों में भूमिका:**
  - पवित्र वन **प्राकृतिक कार्बन सिंक** के रूप में कार्य करके **जलवायु परिवर्तन शमन** में योगदान देते हैं।
  - **भारत के वर्ष 2070 तक शुद्ध-शून्य लक्ष्य** को प्राप्त करने के लिये सरकारी स्वामित्व वाले वनों के साथ-साथ इनका संरक्षण भी महत्वपूर्ण है।
  - उपवनों के प्रभावी प्रबंधन से **मानव-प्रकृति के बीच संबंध को बनाए रखा जा सकता है** तथा स्थानांतरण के कारण होने वाले **सामुदायिक अलगाव को रोका** जा सकता है।
  - **जैवविविधता संरक्षण में पवित्र उपवनों की भूमिका:**
    - **महाराष्ट्र के रायगढ़ ज़िले में वाघोबा हैबिटेट फाउंडेशन** द्वारा संरक्षित एक पवित्र उपवन में हाल ही में एक **तेंदुए** की वापसी देखी गई, जो पारिस्थितिकी सुधार का संकेत है।
- **संरक्षण दृष्टिकोण:**
  - **OECM:**
    - पवित्र उपवन, **जैवविविधता अभिसमय** के अंतर्गत **"अन्य प्रभावी क्षेत्र-आधारित संरक्षण उपायों" (OECM) दृष्टिकोण के अनुरूप** हैं।
    - उपवनों का प्रबंधन समुदायों द्वारा किया जाता है, तथा सांस्कृतिक मूल्यों को जैवविविधता संरक्षण में एकीकृत किया जाता है।
    - OECM **दीर्घकालिक संरक्षण परिणाम** सुनिश्चित करता है, जैवविविधता और पारिस्थितिकी तंत्र कार्यों को संरक्षित करता है।
- **सरकारी पहल:**
  - **झारखंड में घेराबंदी** की शुरुआत वर्ष 2019 में पवित्र उपवनों की रक्षा के लिये चारदीवारी बनाकर की गई थी।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME | UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME | IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME | दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- **छत्तीसगढ़ में वृक्षों के जीर्णोद्धार के लिये पुनरोद्धार परियोजनाएँ** पिछली सरकार के दौरान शुरू की गई थीं।
  - संरक्षण योजनाओं में **सामुदायिक भागीदारी की कमी** और आरक्षित वनों को प्राथमिकता देने के कारण **प्राय: पवित्र वनों की उपेक्षा** की जाती है।

कार्बन सिंक

- ये **पादपों, मृदाओं, भूगर्भिक संरचनाओं और महासागर में कार्बन का दीर्घकालिक भंडारण** हैं।
- यह **प्राकृतिक रूप से तथा मानवजनित गतिविधियों के परिणामस्वरूप घटित** होता है तथा आमतौर पर कार्बन के भंडारण को संदर्भित करता है।
- **प्राकृतिक कार्बन सिंक:**
  - इसके तहत प्रकृति ने हमारे वायुमंडल में **कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन हासिल किया है जो जीवन को बनाए रखने के लिये आवश्यक है।** जंतु कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं, जैसे पौधे रात के समय करते हैं।
  - इस ग्रह पर सभी जैविक जीवन कार्बन आधारित है और जब पौधों और जंतुओं की मृत्यु हो जाती हैं, तो अधिकांश कार्बन वापस जमीन में चला जाता है, जहाँ **ग्लोबल वार्मिंग** में योगदान देने में इसका बहुत कम प्रभाव पड़ता है।

झारखंड कैमरून में फँसे श्रमिकों की सहायता करेगा

चर्चा में क्यों ?

झारखंड के मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद **कैमरून में फँसे** झारखंड **के 47 प्रवासी श्रमिकों के समूह को उनके वेतन का आंशिक भुगतान प्राप्त हो गया** है।

मुख्य बिंदु

- **लंबित वेतन और कानूनी गैर-अनुपालन:**
  - कैमरून में मेसर्स ट्रांसरेल लाइटिंग लिमिटेड द्वारा नियोजित श्रमिकों ने तीन महीने से वेतन का भुगतान न किये जाने का आरोप लगाया।
  - झारखंड के मुख्यमंत्री ने **श्रम आयुक्त को** नियोक्ताओं और बिचौलियों के विरुद्ध **प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** दर्ज करने का निर्देश दिया।
  - FIR में **अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक अधिनियम, 1979 के उल्लंघन** का उल्लेख किया गया है, जिसमें पंजीकरण या अपेक्षित लाइसेंस के बिना श्रमिकों को विदेश भेजना भी शामिल है।
  - झारखंड के हज़ारीबाग, बोकारो और गिरिडीह ज़िलों में FIR दर्ज की गईं।
- **वेतन भुगतान अद्यतन:**
  - ट्रांसरेल लाइटिंग ने कहा कि **श्रमिकों को प्रति माह 100 अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया गया था तथा** शेष राशि उनके भारतीय खातों में स्थानांतरित करने का वादा किया गया था।

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- श्रम विभाग ने कंपनी से **अनुबंध, वेतन रिकॉर्ड और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।**
- **आवश्यक कार्रवाई के लिये प्रवासी संरक्षक (POE)** और अन्य प्राधिकारियों को पत्र भेजा गया है।

- **कूटनीतिक प्रयास:**
  - भारतीय उच्चायोग और **विदेश मंत्रालय** कंपनी और फँसे हुए श्रमिकों के बीच बातचीत को सक्रिय रूप से सुविधाजनक बना रहे हैं।
  - नियंत्रण कक्ष की टीमें श्रमिकों और अधिकारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये उनके साथ संपर्क बनाए हुए हैं।
  - अधिकारियों ने चेतावनी दी कि पूर्ण वेतन का भुगतान न करने पर **ठेकेदारों के साथ समझौते रद्द किये जा सकते हैं।**
- **हस्तक्षेप के पिछले मामले:**
  - **जुलाई 2024** में, मुख्यमंत्री ने कैमरून से **27 फँसे श्रमिकों को वापस लाने के लिये हस्तक्षेप किया।**
  - **मलेशिया में फँसे 50 श्रमिकों को वापस लाने** के प्रयास जारी हैं, जो विशाखापत्तनम पहुँच चुके हैं और उनके शीघ्र ही घर लौटने की आशा है।

अंतर-राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979

- इस अधिनियम का उद्देश्य अंतर-राज्यीय प्रवासियों के रोज़गार और उनकी सेवा की शर्तों को विनियमित करना है।
- यह प्रत्येक ऐसे प्रतिष्ठान पर लागू होता है जो **अन्य राज्यों से आए पाँच या अधिक प्रवासी कर्मकारों को नियोजित करता है** अथवा यदि उसने **पिछले 12 महीनों** में किसी भी दिन **पाँच या अधिक ऐसे कर्मकारों को नियोजित किया हो।**
- **यह उन ठेकेदारों पर** भी लागू होता है जिन्होंने समान संख्या में अंतर-राज्यीय श्रमिकों को रोज़गार दिया हो।
- **इसमें ऐसे प्रतिष्ठानों के पंजीकरण** की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। मुख्य नियोक्ता को संबंधित प्राधिकारी से **पंजीकरण प्रमाण-पत्र के बिना अंतर्राज्यीय श्रमिकों को नियुक्त करने से प्रतिबंधित किया गया है।**
- कानून में यह भी प्रावधान है कि **प्रत्येक ठेकेदार जो** एक राज्य से दूसरे राज्य में तैनाती के लिये श्रमिकों की भर्ती करता है, **उसे ऐसा करने के लिये लाइसेंस प्राप्त करना होगा।**

बिरहोर जनजाति बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुई

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में **झारखंड के** एक **विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह, बिरहोर जनजाति** के लोग पहली बार **बाल विवाह** के **विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए** हैं।

मुख्य बिंदु

- **बिरहोर समुदाय:**
  - **बिरहोर लोग** एक **अर्द्ध-खानाबदोश जनजातीय समुदाय हैं, जो काफी हद तक वनों पर निर्भर हैं तथा आर्थिक और सामाजिक रूप से हाशिये पर रह रहे हैं।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

- पहली बार झारखंड के गिरिडीह ज़िले में बिरहोर समुदाय के सैकड़ों सदस्य बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन में शामिल हुए, जो उनके समुदाय में व्याप्त एक व्यापक प्रथा है।

- **बाल विवाह के परिणामों के संबंध में जागरूकता:**
  - जस्ट **राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायंस (JRC) ने** इस बात पर प्रकाश डाला कि यह आयोजन पहला जागरूकता अभियान था, जिसमें समुदाय को बाल विवाह की वैधता और परिणामों के बारे में जानकारी दी गई।
  - युवा, बच्चे, महिलाएँ और बुज़ुर्ग मोमबत्तियों की रोशनी में एकत्र हुए तथा बाल विवाह को समाप्त करने तथा ऐसे किसी भी मामले की सूचना देने की सामूहिक शपथ ली।
- **सरकारी अभियान के लिये समर्थन:**
  - यह मार्च **केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय** द्वारा शुरू किये गए '**बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान** के तहत बनवासी विकास आश्रम द्वारा आयोजित किया गया था।
  - बनवासी विकास आश्रम JRC गठबंधन के तहत 250 साझेदार **गैर-सरकारी संगठनों (NGO)** में से एक है।
  - बिरहोर जनजाति को इस सामाजिक समस्या के प्रति सजग करने के उद्देश्य से **बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और समग्र विकास पर बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों पर विचार-विमर्श किया गया।**
  - JRC ने सभी 24 ज़िलों के ब्लॉकों, गाँवों और स्कूलों में कार्यक्रमों के माध्यम से **अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच झारखंड में 7,000 से अधिक बाल विवाह रोकने का दावा किया है।**
- **उच्च प्रसार वाले ज़िले:**
  - **जामताड़ा, देवघर, गोड्डा, गिरिडीह, कोडरमा और दुमका** की पहचान बाल विवाह के उच्च मामलों वाले ज़िलों के रूप में की गई।

बिरहोर जनजाति

- **शारीरिक बनावट:** वे **छोटे कद के, लंबे सिर, लहराते बाल और चौड़ी नाक वाले होते हैं।**
- **भाषा: उनकी भाषा संथाली, मुंडारी और हो के** समान है।
- **धर्म:** वे **जीववाद और हिंदू धर्म का मिश्रण मानते हैं।** सूर्य देव उनके सर्वोच्च देवता हैं, साथ ही लुगु बुरु और बुधिमई भी उनके आराध्य हैं।
- **अर्थव्यवस्था:** बिरहोर की "आदिम निर्वाह अर्थव्यवस्था" **शिकार और संग्रहण पर आधारित है,** लेकिन कुछ लोग खेतीबाड़ी में लग गए हैं। वे **बेल के रेशों से रस्सियाँ बनाते हैं और आस-पास के कृषि करने वाले लोगों को बेचते हैं।**
- **सामाजिक-आर्थिक स्थिति:** बिरहोर को उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर **दो समूहों में विभाजित किया गया है: घुमंतू उथलू और स्थायी जांगि (wandering Uthlus and the settled Janghis)।**

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें
UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :

भारत में प्रमुख जनजातियाँ

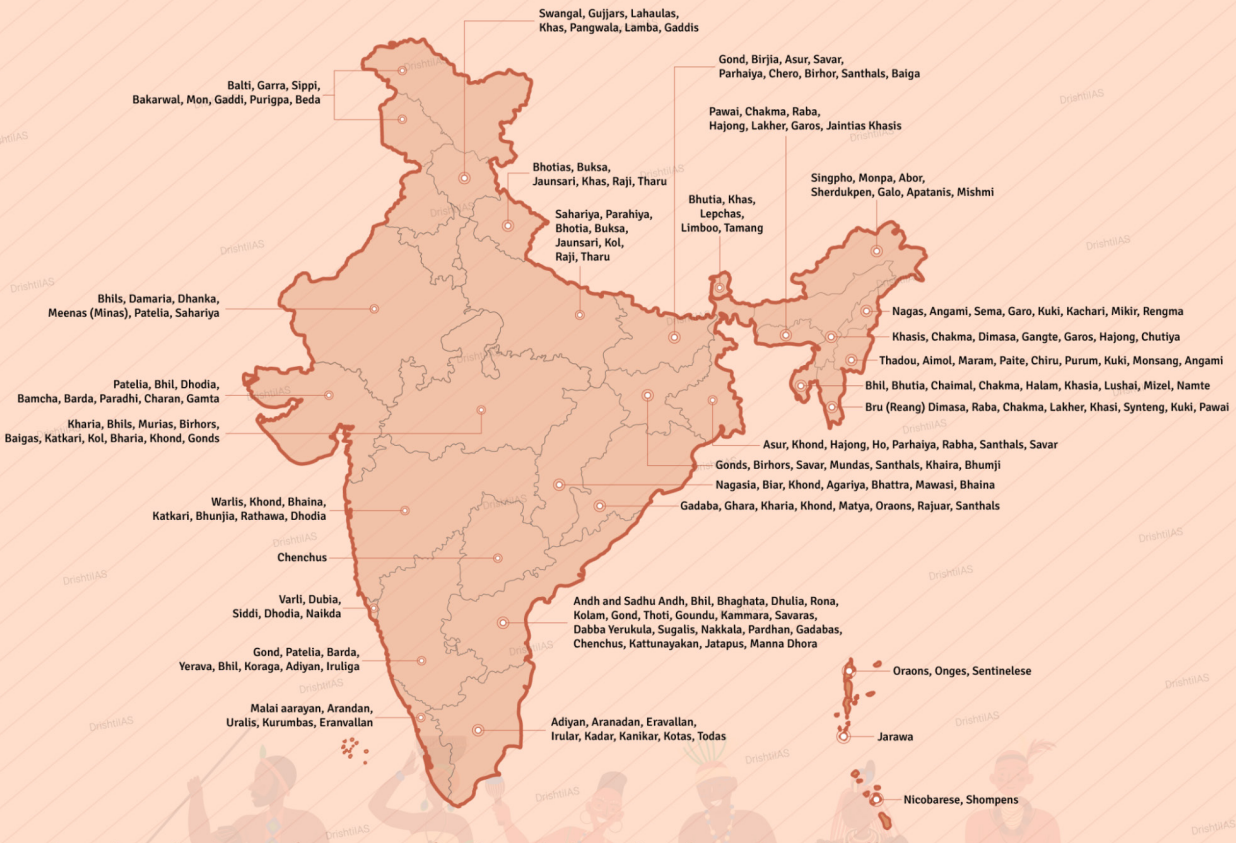

- अनुसूचित जनजाति भारत की जनसंख्या का 8.6% है (जनगणना 2011)। मसौदा राष्ट्रीय जनजातीय नीति, 2006 में भारत की 698 अनुसूचित जनजातियाँ दर्ज हैं।
- विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTGs) ऐसी जनजातियों का समूह है जो जनजातीय समूहों के बीच अधिक असुरक्षित/सुभेद्य हैं। 75 सूचीबद्ध PVTGs में से सबसे अधिक संख्या ओडिशा में पाई जाती है।
- भील भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समूह (भारत की कुल अनुसूचित जनजातीय आबादी का 38% है।
- भारत की सबसे अधिक जनजातीय आबादी मध्य प्रदेश में पाई जाती है (जनगणना 2011)।
- संथाल भारत की सबसे पुरानी जनजाति है। संथालों की शासन प्रणाली, जिसे मांझी-परगना के नाम से जाना जाता है, की तुलना स्थानीय स्वशासन से की जा सकती है।
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन आदेश), 1956 के अनुसार, लक्षद्वीप के ऐसे निवासी जो स्वयं और जिनके माता-पिता दोनों इन द्वीपों में पैदा हुए थे, उन्हें अनुसूचित जनजाति के रूप में माना जाता है।
- संविधान का अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिये अपनाई जाने वाली प्रक्रिया का निर्धारण करता है।
- अनुच्छेद 275 अनुसूचित जनजातियों के कल्याण को बढ़ावा देने और उन्हें बेहतर प्रशासन प्रदान करने के लिये केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को विशेष धन देने का प्रावधान करता है।

Drishti IAS

✦ ✦ ✦ ✦

दृष्टि आईएएस के अन्य प्रोग्राम से जुड़ें

UPSC मेन्स टेस्ट सीरीज़ 2025 SCAN ME
UPSC क्लासरूम कोर्सेस SCAN ME
IAS करेंट अफेयर्स मॉड्यूल कोर्स SCAN ME
दृष्टि लर्निंग ऐप SCAN ME

नोट :